"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 300] रायपुर, सोमवार, दिनांक 14 नवम्बर 2011—कार्तिक 23, शक 1933

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक 3907 एफ 4-11/2008/38-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालय शाखा) भर्ती नियम, 1990 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

अनुसूची-तीन के कॉलम क्रमांक (3) की प्रविष्टि (चार) के सामने कॉलम क्रमांक (6) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

विभाग का नाम (1)	सेवा का नाम (2)	पद का नाम (3)	न्यूनतम आयु सीमा (4)	उच्चतर आयु सीमा (5)	विहित शैक्षणिक अर्हता (6)	टिप्पणियां (7)
		(चार) ग्रंथपाल			1. पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाकुमेंटेशन विज्ञान में कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ऐसी समतुल्य व्यावसायिक उपाधि जो कि यूजीसी अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, अथवा जहां ग्रेडिंग पद्धति लागू है	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					वहां 55% अंकों के समतुल्य ग्रेड (श्रेणी) तथा पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का ज्ञान एवं बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड हो. **टीप—** (1) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/विकलांग व्यक्तियों (शारीरिक एवं दृष्टिबाधित विकलांग) से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर 5% छूट की पात्रता होगी. 55% या 50% अंक को पूर्णांकित किया जाना मान्य नहीं होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये कृपांक भी छूट हेतु मान्य नहीं किये जायेंगे. (2) यूजीसी अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था (एजेंसी) द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) अथवा अन्य परीक्षा जैसे राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (SLET)/राज्य पात्रता परीक्षा (SET) पुस्तकालय विज्ञान में उत्तीर्ण हो. (3) यूजीसी विनियमन, 2009 के अधिसूचित/अनुकूलित होने की तारीख को पी.एच.डी. उपाधि धारक एवं ऐसे अभ्यर्थी जो यूजीसी (एम.फिल./पी.एच.डी. उपाधि अवार्ड के लिये न्यूनतम प्रमाप एवं प्रक्रिया) विनियमन, 2009 एवं जिस विश्वविद्यालय द्वारा इसे अंगीकृत किया गया हो, में दिये गये अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया, पंजीयन, पाठ्यक्रम-कार्य एवं वाह्य मूल्यांकन के माध्यम से पी.एच.डी. उपाधि धारक हो, उन्हें राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET), राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (SLET), राज्य पात्रता परीक्षा (SET) से छूट प्राप्त होगी.	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्रमांक 3907 एफ 4-11/2008/38-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3907 एफ 4-11/2008/38-1, दिनांक 14-11-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, सचिव.

Raipur, the 14th November 2011

NOTIFICATION

No. 3907 F-4-11/2008/38-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Educational Service (Collegiate Branch) Recruitment Rules, 1990, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

For the entries of column number (6) against entry (iv) of column number (3) of Schedule-III, the following shall be substituted, namely :—

Name of Depart- ment	Name of Service	Name of Post	Minumum age limit	Upper age limit	Educational Qualification prescribed	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		(iv) Librarian			1. Master's degree in Library Science/Information Science/Documentation Science or such an equivalent professional degree which is notified by UGC or State Government from time to time with at least 55% of the marks or its equivalent grade of 55% marks where grading system is practiced and with knowledge of Computerization of library and consistently good academic record. **Note—** (1) Candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Handicapped persons (physically and visually handicapped) categories shall have the eligibility of 5% relaxation at the master level. 55% or 50% marks will not be valid to rounding off and grace marks given by university also will not be valid for relaxation. (2) National Eligibility Test (NET) or other examination like State Level Eligibility Test (SLET)/State Eligibility Test (SET) in library science conducted for this purpose by UGC or any other institute (Agency) recognised by UGC. (3) Ph.D. Degree holder as on the date of notification/adoption of UGC regulation, 2009 and such candidates who are awarded a Ph.D. Degree through a	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					process of admission, registration, course-works and external evaluation as laid down in the UGC (Minimum Standards and Procedure for award of M.Phil./Ph.D. degree), regulations, 2009 and so adopted by the university, shall be exempted from National Eligibility Test (NET), State Level Eligibility Test (SLET) and State Eligibility Test (SET).	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
C. K. KHAITAN, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.